न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

पी.एम.एस. नं. – 2021 / 284 दायर दिनांक 26–12–2017
मूल पत्र संख्या 11 / 2017

1. कर्णसिंह पुत्र स्व0 मंगलाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. ज्ञानी देवी पत्नी स्व0 श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. गुमानी देवी पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल जाति जाट निवसी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदकगण

बनाम

1. नत्थूराम
2. रामूराम
3. मागुराम
4. महावीर

} पुत्रगण स्व0 मुकदाराम जाति जाट निवासी खेजावास तहसील नवलगढ।

5. फूलचन्द पुत्र स्व0 हरचन्द जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. सन्तोष देवी पत्नी स्व0 हरचन्द जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. इन्द्राज पुत्र स्व0 श्योराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. रामलाल (फौत)

8/1 चन्द्रावली पत्नी स्व. रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास।
8/2 मुकेश पुत्र स्व. रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास।
8/3 सुनिता पुत्री स्व. रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास।

9. शीशराम
10. रामनिवास
11. मन्नीराम

} पुत्रगण स्व0 गोरधन जाति जाट निवासी खेजावास तहसील नवलगढ।

12. मेदा देवी पत्नी स्व0 गोरधन जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
13. संतरा देवी पुत्री स्व0 गोरधन जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
14. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 भेरूराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
15. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 चिमनाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
16. राजेश कुमार पुत्र स्व0 चिमनाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
17. श्योकोरी पत्नी स्व0 रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
18. बाबूलाल पुत्र स्व0 रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
19. श्रीराम पुत्र स्व0 रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
20. नेमीचंद पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
21. बनारसरी देवी पत्नी स्व0 रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
22. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ (राजस्थान)

–अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक– श्री शिव कुमार बंका
वकील अनावेदक– श्री किशोर कुमार जागिड़

निर्णय

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

दिनांक 24-08-2021

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत इस कदर पेश किया कि ग्राम खोजावास के निवासी है तथा ग्राम खोजावास में वादीगण आवेदकगण की काश्त की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 197 रकबा 1.2200 हैक्टर व खसरा नम्बर 198 रकबा 1.3100 हैक्टर स्थित है। आवेदकगण मय परिविचार केक अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 1.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 198 रकबा 1.31 हैक्टर में मकानात बनाकर रहते है आबाद है।

आवेदकगण अपने खेत खसरा नम्बर 197, 198 जिसमें जाने के लिए हमेशा से अनावेदगण नम्बर 01 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 202 में पूर्वी तरफ से प्रवेश करके अनावेदक नम्बर 7 के खेत खसरा नम्बर 432/195 कि दक्षिणी सींव के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 196 के उतरी पूर्वी कोणे में प्रवेश करके पूर्वी सींव के सहारे सहारे दक्षिणी तरफ चलकर पश्चिमी तरफ मुड़कर आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 197 कि उतरी सींव प्रवेश करते है तथा खसरा नम्बर 197 के अपने खेत खसरा नम्बर 198 में प्रवेश करते है जैस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग कि दो सामान्तर रेखाओं से दर्शाया गया है नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का ही भाग समझाा जावे खसरा नम्बर 196 अनावेगदगण नम्बर 8 लगायत 21 कि खातेदारी की भूमि है आवेदगण अपना खेत खसरा नम्बर 197, 198 को काश्त करने के लिये हमेशा से इसी रास्ते से आते जाते हे इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकलिपक रास्ता नही है।

यह रास्ता तंग व सकड़ा है खेत जुताई बुआई पशुधन अन्य सामान फसल वगैरह ले जाने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली आदि आने जाने के लिये काफी परेशानी होती है आवेदकगण इस रास्ते कि चौडाई करीब 12 फुट करवाना चाहते है जिससे कृषि यंत्र व अन्य सामान लाने व ले जाने के लिये किसी प्रकार कि कोई परेशानी नही हो फसल का नुकसान नही हो आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 197, 198 मे आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है आवेदकगण को अपने खेतो में जाने के लिये रास्ते कि आवश्यकता है।

आवेदकगण सरकारी डी0एल0सी0 दर के अनुसार जो भी कीमत रास्ते की भूमि की बनती है वह कीमत आवेदगण नियमानुसार देने के लिये तैयार है तथा आवेदक नम्बर 01 लगायत 03 अपनी खातेदारी कि भूमि खसरा नम्बर 197 व 198 मे से भी रास्ते की जितनी भूमि होगी उतनी भूमि बदले में देने को भी तैयार है।

आवेदकगण अनावेदकगण कि जितनी भूमि रास्ते में जायेगी उसकी कीमत डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि देने को तैयार है तथा इस रास्ते को नक्शा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा नक्शे में रास्ता कटान का करवाना चाहते है जिसकी रास्ते की रहेगी जिससे भविष्य में कोई विवाद नही हो।

आवेदकगण न्यायालय द्वारा रास्ता दिये जाने पर इसकी पत्थरीगढी करवाकर पत्थर रोपकर मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पत्थर गाड़कर रोपकर इसका अंकन नक्शे में करवाना चाहते है जिससे कोई विवाद रास्ते बाबत भविष्य में नही हो खर्चा पत्थर गडी व अन्य उचित खर्चा आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार देने को तैयार है।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को रास्त नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसा[illegible] व डी0एल0सी0 दर (रेट) की दुगुनी रकम अनावेदक की भूमि की बनती है [illegible] को नियमानुसार रास्ते की भूमि दिलाई जावे व रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाद अवलोकन [illegible] रजिस्टर किया गया। तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6, 8 [illegible]यत 21 की तलबी प्रर्याप्त रूप से प्राप्त होने पर इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही तथा अनावेदकगण संख्या 7, 18 लगायत 21 की ओर से वकील श्री राजीव सिंह शेखावत उपस्थित हो

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

[illegible] वकालत नामा पेश किया। तत्पश्चात अनावेदकगण संख्या 2, 5 व 9 की ओर से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया ने वकालत नामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पारित निर्णय में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण 2 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई।

अनावेदक संख्या 2, 5 व 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया गया कि प्रार्थना पत्र में ए स्थान से रास्ते की मांग की गई है वह ए स्थान चारागाह की भूमि में स्थित है। चारागाह की भूमि में से कोई कटान का रास्ता नही है। धारा 251ए कटान के रास्ते से नया रास्ता लिये जाने की मांग बाबत प्रावधान है जिस आराजी के कोई रास्ता नही लगता है उसके लिए नया रास्ता निकटतम कटान के रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज हो, से अपनी आराजी तक रास्ते की मांग की जा सकती है। चारागाह की भूमि में मनमर्जी पूर्वक रास्ता की मांग नही की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र मे प्रचलन के रास्ते को चौड़ा करने की मांग की गई है। परन्तु यह दर्ज नही किया गया कि प्रचलन का रास्ता कितना चौड़ाई का उपलब्ध है तथा कितना अब और चाहिए। प्रार्थना पत्र में मौके पर प्रचलन का रास्ता होना गलत कथन करते हुये उसकी आड़ में मनमर्जी से नया रास्ता बनाए जाने व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की कोशिश की गई है जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रचलन के रास्ते को खुलवाये जाने व चौड़ा किए जाने को कोई प्रावधान नही है। प्रचलन के रास्ते को खुलवाये जाने व चौड़ा करवाये जाने का प्रावधान सुखाधिकार के तहत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार नवलगढ के यहां कार्यवाही की जा सकती है तथा सुखाधिकार अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय में वाद के जरिये सुखाधिकार की घोषणा करवाई जाकर रास्ता बाबत चाराजोही की जा सकती है। धारा 251ए में प्रचलन के रास्ते के सम्बन्ध में कोई सिद्धी प्राप्त करने का प्रावधान नही है।

प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में आवेदकगण की भूमि ग्राम खोजावास में स्थित होने का कोई विवाद नही है। मद संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की भूमि में मकानात बनाकर आबाद होने का तथ्य विधि सम्मत नही है। खातेदारी की भूमि में मकानात बनाकर आबाद होना कानून द्वारा सम्पोषित नही है। मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नही है। उक्त मद में जिस प्रकार से रास्ते का वर्णन किया गया है। वह मनमर्जी पूर्वक उतरदातगण व अन्य अनावेगदण द्वारा दया पूर्वक व अस्थाई परमिशन के आधार पर आने जाने को रास्ते को अधिकार मानते हुये दर्ज किया गया है बल्कि उक्त मद में वर्णित रास्ता ना तो प्रचलन का रास्ता है ना ही कटान का रास्ता है ना ही धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार युक्ति युक्त व निकटतम रास्ता हो सकता है। उक्त मद में संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित रास्तों को हमेशा से आते–जाते रहने का बताया है जो कि निराधार व गलत कथन है। आवेगदगण की भूमि खसरा नम्बर 198 के दक्षिण में एक खेत छोड़कर कटानी रास्ता है जिस पर सड़क बनी हुई है जो आवेदकगण के खेत के सबसे नजदीक पड़ता है वही रास्ता आवेदगण हमेशा से उपयोग करते रहे है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। उक्त मद मे रास्ता को तंग व संकड़ा होना कथन किया है परन्तु यह दर्ज नही किया गया कि कितने फीट अथवा मीअर का रास्ता है तथा यह भी दर्ज नही किया गया कि उक्त रास्ता कैसे बना तथा यह भी दर्ज नीं किया गया कि उक्त रास्ता कैसे बना तथा यह भी दर्ज नही किया गया कि उक्त रास्ता के सम्बन्ध में आवेदक को कैसे व कब अधिकार पैदा हुए। जब कोई रास्ता बाबत अधिकार [illegible] पैदा नही हुए तो उस रास्ते को चौड़ा करने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार [illegible] को अनावेदगण के खेत मे से रास्ता लेने का अधिकार ही प्राप्त नही है। अनावेदगण के खेत के दक्षिण की तरफ एक खेत छोड़कर सरकारी कटान का रास्ता है जिस पर सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क ही आवेदकगण के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

सबसे निकटतम है, जिससे होकर आवेदकगण रास्ते की मांग कर सकते है। जब प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार डी0एल0सी0 दर के अनुसार कीमत अथवा रास्ते के बदले भूमि देने का कोई अर्थ नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। जब प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसर रास्ता आवेदगण को मिल ही नही सकता है तो दो गुणा डी0एल0सी0 दर से रूप्ये अदा करने का कोई महत्व नही रह जाता है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 गलत होने अस्वीकार है आवेदकगण आवेदन में वर्णित अनुसार रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। रास्ते को कोई विवाद उचित नही है। उतरदातागण की भूमि मे से आवेदगण किसी प्रकार को कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदकगण 7 व 18 लगायत 21 की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे आवेदकगण का खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 1.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 198 रकबा 1.31 हैक्टर होना आवेदकगण का ग्राम खोजास का निवासी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में आवेदकगण का अपनी खातेदारी कि भूमि में मकानात बनाकर मय परिवार रहना स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस तरह से दर्ज है स्वीकार है अनावेदक नम्बर 7 जवाबदेहन्दा का खेत खसरा नम्बर 432/195 में से होकर आवेदकगण आगे खसरा नम्बर 196 मे से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 197, 198 में जाते है खेत खसरा नम्बर 196 अनावेदग नम्बर 18 लगायत 21 जवाबदेहन्दा का है अनावेदगण अपने खेत खसरा नम्बर 197 व 198 को काश्त करने के लिये हम जवाबदेहन्दा के खेतो मे से हमेशा से जो रास्ता आवेदगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है रास्ता लाल रंग से दर्शायाा है इसी से आते जाते है काश्त के लिये ट्रेक्टर गाडी पशु मवेशी आदि इसी रास्ते से लाते ले जाते है। फलस लाने ले जाने के सभी साधन ले जाते है अनावेदकगण के खेतो के लिये हम जवाबदेहन्दा के खेतो से होकर आने जाने के रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है लगता है न ही कोई रास्ता मौके पर अस्तित्व में है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस तरह से दर्ज है स्वीकार है मौके पर जो रास्ता है वह तंग संकडा है आपने सामने से पशु मवेशी गाड़ी ट्रेक्टर आने जाने से निकलने में काफी कठिनाई व असुविधा रहती है रास्ता 12 फीट से भी अधिक चौडा किया जाता है तो अनावेदगण जवाबदेहन्दा को कोई एतराज व असुविधा होने वाली नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस तरह से दर्ज है स्वीकार है विधि अनुसार रास्ता न्यायालय द्वाा दिया जाकर उचित दर से राशि दिलवाई जावे या भूमि के बदले यदि सटकर भूमि दी जाती है तो अनावेदकगण जवाबदेहन्दा को कोई एतराज नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 विधि वर्णनाओ के अनुसार होने से विस्तृत जबवा दिये जाने की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 7 स्वीकार है रास्ते कि अलग से पत्थर गड्डी कर सुरक्षित किये जाने में जवाबदेहन्दा को कोई आपति नही है।

जवाबदेहन्दा ने अतिरिक्तोतर प्रस्तुत किया कि अनावेदक नम्बर 07 जबवादेहन्दा भी अपने खेत खसरा नम्बर 432/195 में खसरा नम्बर 202 कि पूर्वी सींव सीमा के सहारे सहारे अपने खेत मे जाता है अनावेदगण नम्बर 18 लगायत 21 भी अपने खेत खसरा नम्बर 196 मे जाने के लिये खसरा नम्बर 202 से 432/195 मे से होकर जाते है जवाबदेहन्दा अपने खेतो में जा[illegible] खसरा नम्बर 202 से जो रास्ता विधमान है इसको 12 फीट चौडा करके कटान मे [illegible] जितनी भूमि अनावेदगण संख्या 1 लगायत 6 कि जाती है उसके बदले में भूमि [illegible] न्यायालय जैसा आदेश करेगा उसकी पालना करने को अनावेदगण जवाबदेहन्दा तैयार है जो रास्ता मौके पर है वह आवेदकगण के खेतो तक जाता है यह 12 फुट चौडा कर दिया जावे कटान मे काटकर सरकार के रास्ता दर्ज हो जाता है तो अनावेदगण जवाबदेहन्दा को कोई आपति नही है रास्ते की आवेदकगण द्वारा मांग की गई है यह रास्ता कायम करने से अनावेदगण को अलग से रास्त हेतु नया मुकदमा करने कि आवश्यकता भी नही रहेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

लिये आवेदगण द्वारा चाहा गया रास्ता कायम कर दिया जावे अन्य कोई रास्ता न तो आवेदकगण के लिये मोके पर है न ही अनावेदगण जवाबदेहन्दा के भी अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही लगता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनावेदगण द्वारा मांग किये गये रास्ते को 12 फुट चौडा कायम कर दिया जावे जिससे अनावेदगण जवाबदेहन्दा को भी अन्य मुकदमा नही करना पडेगा समय व धन कि बचत होगी।

तत्पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ के क्रमांक/राजस्व/2018/706 दिनांक 20.6.2018 के द्वारा वर्णित किया गया कि विवादित रास्ते के संबंध में भू-अभिलेख निरीक्षक बसावा से मौका जांच रिपोर्ट करवायी गयी जिसके मुताबिक मोके पर रास्ता चारागाह भूमि खसरा नम्बर 217 से शुरू होकर खसरा नम्बर 202, 432/195, 201, 196, 197 की दक्षिणी सीम तक मौके पर प्रचलन का रास्ता है तथा प्रचलित रास्ते में आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 4, 8 लगायत 12 तथा 18 लगायत 21 तक का प्रस्तावित रास्ते से ही आना जाना है। जिसका मोका रिपोर्ट में नजरी नक्शा तैयार किया गया है। उपरोक्त नजरी नक्शे में लाल स्याही से बिन्दु संख्या ए से बी तक रास्ता प्रचलित है जिसमें से होकर आवेकदगण व अनावेदकगण 1 लगायत 4, 8 लगायत 12 तथा 18 लगायत 21 तका का आना जाना है। मौके पर उपस्थित जनो द्वारा बताया गया की वर्षो से ही इसी रास्ते से आना जाना है। प्रस्तावित रास्ते का माप बिन्दु ए से बी तक रास्ते का क्षेत्रफल खसरावार निम्न प्रकार है।

खसरा नम्बर	नाप	क्षेत्रफल
202	22 x 3.66	227 वर्ग मीटर
432/195	130 x 3.66	475 वर्ग मीटर
201	20 x 3.66	73 वर्ग मीटर
196	110 x 3.66	403 वर्गमीटर
197	115 x 3.66	421 वर्ग मीटर
	योग	1599 वर्गमीटर

उपरोक्त नजरी नक्शे का नाप मौके पर उपस्थित पुरूष व महिलाओं की उपस्थित में किया गया व इस रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता आवेदकगण व अनावेदकण के लिए नही है।

इसे अतिरिक्त तहसीलदार नवलगढ द्वारा से पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 25.02.2020 को इस कदर पेश किया कि ग्राम खोजावास की भूमि खसरा नम्बर 217, 432/195, 201, 196, 197, 198 के मौके पर खसरा नम्बर 2017 गैर मुमकीन चारागाह आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ते में खसरा नम्बर 202 की लम्बाई 60 मीटर खसरा नम्बर 432/196 की लम्बाई 132 मीटर, खसरा नम्बर 201 की लम्बाई 20 मीटर, खसरा नम्बर 196 की लम्बाई 110 मीटर व खसरा नम्बर 197 की लम्बाई 115 मीटर हे। यह रास्ता खसरा नम्बर 217 से प्रारम्भ होकर क्रमशः खसरा नम्बर 202, 432/195, 201, 196, 197 से होते हुए खसरा नम्बर 198 तक चाहा गया है। उनवानी प्रकरण में पक्षकारान की मौजुदगी मे रास्ता को नापा गया। मापने के दौरान प्रतिवादी शिशराम ने विरोध प्रकट कर अपने खेत का सीमाज्ञान की मांग की। मौका फर्द रिपार्ट में नजरी नक्शे में आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से अं[illegible] समें से 1 बिन्दू ए से ई तक प्रचलित रास्ता है। अनावेदक शिशराम ने खसरा [illegible] 196 में [illegible] आें पर छपी डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। मोके पर उपस्थित प[illegible] दगणों द्वारा इन्कार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी[illegible]। वकील आवेदक द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 197 रकबा 1.22 व खसरा नम्बर 198 रकबा 1.31 खसरा नम्बर 202 मे प्रवेश अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 मे से रामूराम द्वारा आपति प्रस्तुत की गई। खसरा नम्बर 201 प्रतिवादी नम्बर 18 लगायत 21 के खातेदार काश्तकार को रास्ते के

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

[redacted] में कोई आपति एवं एतराज नही है तथा अनावेदग नम्बर 9 को भी कोई ऐतराज नही है। अनावेदक नम्बर 7 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 427/195 है। वकील आवेकद ने कथन किया कि वर्णित रास्ते प्रचलन में है जिसको केवल मात्र चौडा करवा रहे है। वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः आवेदन अन्य किसी को आपति नही है। इसी रास्ते से आवेदगण व अनावेदकगण आते जाते है। अन्य कोई रास्ता नही है तो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार रास्ता कर दिया जाने का निवेदन किया गया।

बहस के जवाब में वकील अनावेदक संख्या 2, 5 व 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया गया कि आवेददकगण द्वारा चाहा गया रास्ता चारागाह भूमि से नही लिया जा सकता है केवल कटाण रास्ते से लिया जा सकता है इसके कोई रास्ता विद्यमान नही है। रास्ता मौके पर है अन्य कोई रास्ता नही है। तथा उक्त रास्ता अभिलेख में भी नही है। जिसका क्षेत्राधिकार 251 विधमान है तहसीलदार को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए को लाने की मंशा चारो ओर कोई रास्ता नही हो तो रास्ता दिया जा सकता है ना कि प्रचलन/कटाण में नही हो तो नही दिया जा सकता।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक बसावा से मौका जांच रिपोर्ट मुताबिक मोके पर रास्ता चारागाह भूमि खसरा नम्बर 217 से शुरू होकर खसरा नम्बर 202, 432/195, 201, 196, 197 की दक्षिणी सीम तक मौके पर प्रचलन का रास्ता है तथा प्रचलित रास्ते में आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 4, 8 लगायत 12 तथा 18 लगायत 21 तक का प्रस्तावित रास्ते से ही आना जाना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपयोग में आ रहे रासते को चौड़ा करने की इस्तदुआ चाही गई है, सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में आवेदक स्वयं उक्त रास्ते को प्रचलित रास्ता मानता है, परन्तु आवेदक ने उक्त वर्णित रास्ते की चौड़ाई बाबत कोई उल्लेख नही किया है कि यह प्रचलित रास्ता मौके पर कितनी चौड़ाई में स्थित है। आवेदक के साथ–साथ तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी उक्त रास्ते को प्रचलित रास्ता दर्शाया गया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) मे प्रचलित रास्ते हेतु प्रावधान नही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) में पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:37:25 IST
Reason: SelfAttested